



**प्रेसविज्ञप्ति-, दिनांक – 15.01.2026**

**थाना – अहरौला, जनपद – आजमगढ़**

**थाना अहरौला पुलिस द्वारा 10 किलो 300 ग्राम नाजायज गाँजा (कीमत लगभग 01 लाख रुपये) के साथ 01 अन्तर्राज्यीय अभियुक्त गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के**

**अंतर्गत अभियोग पंजीकृत**

**घटना का विस्तृत विवरण-**

आज दिनांक 15.01.2026 को थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, मय हमराह व0उ0नि0 रविन्द्र नाथ पाण्डेय, हे0का0 राकेश कुमार सिंह, का0 बसंत कुमार एवं का0 लालजी यादव, के साथ देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग, जुर्म-जरायम की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में फुलवरिया बाजार क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बरामदपुर पुलिया के पास स्थित एक चबूतरे पर बने छप्पर में मौजूद है, जिसके पास एक अटैची है, जिसमें नाजायज मादक पदार्थ है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर घेराबंदी की गई तथा हमराही कर्मचारियों की सहायता से संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं तलाशी में अभियुक्त द्वारा अपना नाम सोनू कुमार पुत्र राम सकल सिंह, निवासी – ग्राम विशुनपुरा, थाना बिहटा, जनपद पटना, बिहार, उम्र – लगभग 41 वर्ष बताया गया, जिसके कब्जे से एक अटैची में रखा हुआ 10 किलो 300 ग्राम नाजायज गाँजा बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 11/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**पूछताछ का विवरण-**

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह बिहार राज्य से गाँजा लेकर आता है, जिसे वह पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों जैसे बनारस, आजमगढ़, मऊ, बलिया आदि में बेचता है।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

01. मु0अ0सं0 11/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

01. सोनू कुमार पुत्र राम सकल सिंह, निवासी – ग्राम विशुनपुरा, थाना बिहटा, जनपद पटना, बिहार, उम्र – लगभग 41 वर्ष

**बरामदगी का विवरण-**

- 10 किलो 300 ग्राम नाजायज गाँजा (कीमत लगभग 01 लाख रुपये)

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

1. अमित कुमार मिश्र – थानाध्यक्ष, थाना अहरौला
2. व0उ0नि0 रविन्द्र नाथ पाण्डेय थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
3. हे0का0 राकेश कुमार सिंह थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
4. का0 बसंत कुमार थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
5. का0 लालजी यादव थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।